न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी श्री सत्यनारायण, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
81/2021	दावा 53 RTA	12.10.2021	21.09.22

सीमा राठौड़ पत्नी श्री दीपकसिह शेखावत जाति राजपूत निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू

—वादीनी—

बनाम

1. अनूर बानो पुत्री हासम खां जाति कायमखानी निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला सीकर (राज.)
2. असलमखां पुत्र हासम खां जाति कायमखानी निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला सीकर (राज.)
3. इसरार पुत्र समसुदीन जाति तेली निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला सीकर (राज.)
4. उर्मिला सेन पत्नी राजेन्द्र सेन जाति नाई निवासी जयपुर (राज.)
5. खातुन बानो पुत्री हासम खां जाति कायमखानी निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला सीकर (राज.)
6. घनश्यामदास पुत्र सन्तराम जाति सुनार निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. प्रेमकुमार पुत्र श्री शिवचंद जाति सुनार निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. बलकेश बानो पुत्री हासम खां जाति कायमखानी निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला सीकर (राज.)
9. बाबुखां पुत्र हासम खां जाति कायमखानी निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला सीकर (राज.)
10. मुनी देवी पत्नी शिवचंद जाति सुनार निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
11. लेखराम पुत्र सन्तराम जाति सुनार निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
12. लियाकत खां पुत्र हासम खां जाति कायमखानी निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला सीकर (राज.)
13. श्री राम पुत्र सन्तराम जाति सुनार निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
14. शहनाज बानो पुत्री हासम खां जाति कायमखानी निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला सीकर (राज.)
15. सतारखां पुत्र हासम खां जाति कायमखानी निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला सीकर (राज.)
16. सनावरी पुत्री हासम खां जाति कायमखानी निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला सीकर (राज.)
17. समसुदीन पुत्र हुसैन जाति तेली निवासी रामगढ तहसील रामगढ जिला सीकर (राज.)
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू (राज.)

—प्रतिवादीगण—

दावा कृषि भूमि विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

उपस्थित —
1. अधिवक्ता श्री नरेन्द्र राठौड़ वादी
2. अधिवक्ता आदित्य राठौड़

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

<u>निर्णय</u>

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि कृषि भूमि ख.नं. 1196/842 तादादी 1.7452 हैक्टेयर व ख.नं. 1397/1274 तादादी 1.6713 हैक्टेयर कुल कीता 02 कुल तादादी 3.4165 हैक्टेयर वाके रोही रतननगर तहसील व जिला चूरू वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें वादीनी का 139/277 हिस्सा है तथा वादगत कृषि भूमि वादीनी एवं प्रतिवादीगण 1 से 17 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है। यह कृषि भूमि वादीनी व प्रतिवादीगण के अविभक्त रूप से संयुक्त कब्जे व काश्त में चली आ रही है जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 की प्रमाणित प्रतिलिपि दावा हाजा के साथ प्रस्तुत की जा रही है। वादीनी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त कृषि भूमि को अपने अलग–अलग हिस्सों पर काश्त कर रहे हैं और वादगत कृषि भूमि के अच्छे व हल्की किस्म को लेकर व काश्त के मध्य लूंग पाला आदि को लेकर पक्षकारान के मध्य तनाजा बना रहता है इसलिए वादीनी के लिए आवश्यक हो गया है कि वादीनी के अपने हिस्से की खातेदारी कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन किया जाकर वादीनी के हिस्से की कृषि भूमि के विभाजन का यह दावा पेश किया जा रहा है।

वादीनी ने प्रतिवादीगण को कहा व कहलवाया कि साथ चलकर वादीनी के हिस्से की कृषि भूमि का खाता व लगान अलग–अलग कायम करवायें जिस हेतु कृषि भूमि के विभाजन का दावा पेश है।

वादीनी ने प्रतिवादीगण को कहा व कहलवाया कि साथ चलकर वादीनी के हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि का कब्जा व लगान अलग कायम करवा लें मगर प्रतिवादीगण टाल–मटोल करते रहे व आखिरकार दिनांक 06.10.2021 को प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ–साफ इन्कार कर दिया लिहाजा तारीख दिनांक 06.10.2021 से वादकारण तथा वाद–हेतुक वादीनी को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त हो गया है।

दावा कृषि भूमि के विभाजन का है तथा **LAND HOLDRER** होने के कारण दावा हाजा में राजस्थान सरकार को दावा हाजा में पक्षकार प्रतिवादी सं. 18 बनाया गया है मगर दावा मे राज्य सरकार के हितों के प्रतिकूल असर डालने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए दावा से पूर्व धारा 80 जा0 दी0 के नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

निवास स्थान फेरीकेन व वादग्रस्त कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को दावा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद पेश है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा बहक वादीनी खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे लिखेनुसार डिक्री फरमाया जावे।

(क) जरिये डिक्री की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1196/842 तादादी 1.7452 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1397/1274 तादादी 1.6713 हैक्टेयर कुल कीता 02 कुल तादादी 3.4165 हैक्टेयर वाके रोही रतननगर तहसील व जिला चूरू में वादीनी का सम्पूर्ण कृषि भूमि में 139/277 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

का By meets and bound विभाजीत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर नक्शा में तरमीम व तकसीम किया जाकर अलग पास बुक जारी की जावे । वादीनी के हिस्सा की कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 1397/1274 की सम्पूर्ण भूमि तादादी 1.6713 हैक्टेयर भूमि है, जो रोही रतननगर तहसील व जिला चूरू हैं। उक्त एकल खसरा भूमि पर वादीनी का शुरू से ही कब्जा काश्त चल रहा है। उक्त खसरा नम्बर 1397/1274 रकबा 1.6713 हैक्टेयर रोही रतननगर तहसील व जिला चूरू का विधिवत विभाजन करके अलग खाता व लगान कायम किया जावे । वादीनी का हिस्सा संलग्न नक्शा में लाल रंग में दर्शाया गया है ।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी सं. 1 ता 17 दिलवाया जावे अन्य न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या हो जावे, वादी को दिलाया जावे।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई । प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 को विधिवत रूप से सम्मन तामील हो जाने पर तारीख पेशी पर न्यायालय समय में बार-2 आवाजें लगाई गई परन्तु उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ । कोविड – 19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी संख्या 1 से 17 को उपस्थित होने पुनः अवसर दिया गया परन्तु विधिवत तामील हो जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण सं. 1 ता 17 उपस्थित नहीं आये । प्रतिवादीगण सं. 1 ता 17 को पूर्ण अवसर दिये जाने के बावजूद भी बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है । प्रतिवादी संख्या 18 राजपैरोकार ने उपस्थित हुए परन्तु जवाब नहीं देना चाहते हैं। वकील वादी के निवेदन कि दावा केवल खाता विभाजन का है इसलिये दावा पर पेश दस्तावेजात को साक्ष्यवादी माना जाये प्रतिवादीगण की ओर से जवाब भी पेश नहीं किया गया अतः साक्ष्य बंद की जाकर बहस सुनी जाये। जिस पर वकील वादी की बहस सुनी गई।

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा, पेश दस्तावेजात् अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि वादीनी की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है जिसका बाहमी विभाजन होकर खातेदारों का मौके पर अलग-अलग कब्जा काश्त है परन्तु उक्त कृषि भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है इसलिए वादी ने मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर खाता विभाजन करवा कर अलग खाता व लगान कायम करवाने हेतु यह दावा पेश किया है । प्रतिवादीगण सं. 1 से 17 द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी । वादगत कृषि भूमि वादीनी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की है जिसमें वादीनी का 139/277 हिस्सा खातेदारी का है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर अपने-अपने हिस्सों पर काबिज हैं, इसलिए नियमानुसार वादीनी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज खातेदारी के 139/277 हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवा कर खाता व लगान अलग-अलग कायम करवाने की अधिकारी है। अतः दावा वादिनी स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

<u>निर्णय</u>

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर दावा वादिनी प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1196/842 तादादी 1.7452 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1397/1274 तादादी 1.6713 हैक्टेयर कुल कीता 02 कुल तादादी 3.4165 हैक्टेयर वाके रोही रतननगर तहसील व जिला चूरू का मौका पर कब्जा काश्त एवं रिकॉर्ड की स्थिति अनुसार माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी मंदी के अनुसार रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहसीलदार चूरू को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में से वादीनी के हिस्से का खाता विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर दो प्रतियों में पेश करें, जिन खातेदारों का हिस्सा बैंक के रहन दर्ज है, वह यथावत रहन रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21-09-22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
चूरू

उपखण्ड अधिकारी चूरू

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

प्रारम्भिक डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मुकाम चूरू

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
81/2021	दावा 53 RTA	12.10.2021	

सीमा राठौड़ पत्नी श्री दीपकसिह शेखावत जाति राजपूत निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू

–वादीनी–

बनाम

1. अनूर बानो पुत्री हासम खां जाति कायमखानी निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला सीकर (राज.)
2. असलमखां पुत्र हासम खां जाति कायमखानी निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला सीकर (राज.)
3. इसरार पुत्र समसुदीन जाति तेली निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला सीकर (राज.)
4. उर्मिला सेन पत्नी राजेन्द्र सेन जाति नाई निवासी जयपुर (राज.)
5. खातुन बानो पुत्री हासम खां जाति कायमखानी निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला सीकर (राज.)
6. घनश्यामदास पुत्र सन्तराम जाति सुनार निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. प्रेमकुमार पुत्र श्री शिवचंद जाति सुनार निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. बलकेश बानो पुत्री हासम खां जाति कायमखानी निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला सीकर (राज.)
9. बाबुखां पुत्र हासम खां जाति कायमखानी निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला सीकर (राज.)
10. मुनी देवी पत्नी शिवचंद जाति सुनार निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
11. लेखराम पुत्र सन्तराम जाति सुनार निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
12. लियाकत खां पुत्र हासम खां जाति कायमखानी निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला सीकर (राज.)
13. श्री राम पुत्र सन्तराम जाति सुनार निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
14. शहनाज बानो पुत्री हासम खां जाति कायमखानी निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला सीकर (राज.)
15. सतारखां पुत्र हासम खां जाति कायमखानी निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला सीकर (राज.)
16. सनावरी पुत्री हासम खां जाति कायमखानी निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला सीकर (राज.)
17. समसुदीन पुत्र हुसैन जाति तेली निवासी रामगढ तहसील रामगढ जिला सीकर (राज.)
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. 81 सन् 2021

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई हमारे रूबरू ब हाजरी अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदईब व मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादिनी प्रारम्भिक रूप से डिकी किया जाता है कि दावा वादीनी स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिकी किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1196/842 तादादी 1.7452 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1397/1274 तादादी 1.6713 हैक्टेयर कुल कीता 02 कुल तादादी 3.4165 हैक्टेयर वाके रोही रतननगर तहसील व जिला चूरू का मौका पर कब्जा काश्त एवं रिकॉर्ड की स्थिति अनुसार माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी मंदी के अनुसार रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहसीलदर चूरू को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में से वादीनी के हिस्से का खाता विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर मय नक्शा दो प्रतियों में पेश करें, जिन खातेदारों का हिस्सा बैंक के रहन दर्ज है, वह यथावत रहन रहेगा।

यह डिक्री दिनांक 21.09.22 को मेरे हस्ताक्षर व मुद्रा न्यायालय द्वारा जारी की गई।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)

अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चूरू

इजलास : श्री सत्यनारायण आर0ए0एस0

सीमा राठौड़ पत्नी दीपकसिह शेखावत जाति राजपूत निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू

—वादी—

बनाम

1. अनूरबानो पुत्री हासमखां जाति कायमखानी निवासी रामगढ तहसील रामगढ जिला सीकर
2. असलम खां पुत्र हासमखां जाति कायमखानी निवासी रामगढ तहसील रामगढ जिला सीकर
3. इसरार पुत्र समसुदीन जाति तेली निवासी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला सीकर (राज.)
4. उर्मीला सेन पत्नी राजेन्द्र सेन जाति नाई निवासी जयपुर (राज.)
5. खातुन बानो पुत्री हासमखां जाति कायमखानी निवासी रामगढ तहसील रामगढ जिला सीकर (राज.)
6. घनश्यामदास पुत्र सन्तराम जाति सुनार निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. प्रेमकुमार पुत्र शिवचंद जाति सुनार निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. बलकेश बानो पुत्री हासमखां जाति कायमखानी निवासी रामगढ तहसील रामगढ जिला सीकर (राज.)
9. बाबुखां पुत्र हासमखां जाति कायमखानी निवासी रामगढ तहसील रामगढ जिला सीकर(राज.)
10. मुनीदेवी पत्नी शिवचंद जाति सुनार निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
11. लेखराम पुत्र सन्तराम जाति सुनार निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
12. लियाकत खां पुत्र हासमखां जाति कायमखानी निवासी रामगढ तहसील रामगढ जिला सीकर (राज.)
13. श्री राम पुत्र सन्तराम जाति सुनार निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)
14. शहनाज बानो पुत्री हासमखां जाति कायमखानी निवासी रामगढ तहसील रामगढ जिला सीकर (राज.)
15. सतार खां पुत्र हासमखां जाति कायमखानी निवासी रामगढ तहसील रामगढ जिला सीकर (राज.)
16. सनावरी पुत्री हासमखां जाति कायमखानी निवासी रामगढ तहसील रामगढ जिला सीकर (राज.)
17. समसुदीन पुत्र हुसैन जाति तेली निवासी रामगढ तहसील रामगढ जिला सीकर (राज.)
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 81/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री नरेन्द्रसिह राठौड़ एडवोकेट वादी पेश होकर तहसीलदार चूरू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर एक पक्षीय बहस की जाकर अपनी सहमति जाहिर की गयी । प्राप्त विभाजन प्रस्ताव उभय पक्षकारान की उपस्थिति में पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक ने मौके पर तैयार किया जाकर तहसीलदार चूरू द्वारा प्रमाणित किया गया है जिसमें पक्षकारों ने अपनी सहमति दी है। किसी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः पक्षकारों की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. ख.नं. 1397/1274 तादादी 1.6713 हैक्टेयर वाके रोही रतननगर तहसील व जिला चूरू में से वादी एवं प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

का खाता विभाजन मौके पर उनके कब्जा काश्त के अनुसार एवं संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाकर निम्नानुसार अलग खाते व लगान कायम करने का आदेश दिया जाता है:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय विवरण	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान
1.	सीमा राठौड़ पत्नी दीपकसिह शेखावत जाति राजपूत निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू खातेदार	1397/1274 मि.	1.6440	बारानी	
		किता–1	1.6440	बारानी	
2.	अनूरबानो पुत्री हासमखां 29/621 हिस्सा असलम खां पुत्र हासमखां 29/621 हिस्सा खातुन बानो पुत्री हासमखां 29/621 हिस्सा बलकेश बानो पुत्री हासमखां 29/621 हिस्सा बाबुखां पुत्र हासमखां 29/621 हिस्सा लियाकत खां पुत्र हासमखां 29/621 हिस्सा शहनाज बानो पुत्री हासमखां 29/621 हिस्सा सतार खां पुत्र हासमखां 29/621 हिस्सा सनावरी पुत्री हासमखां 29/621 हिस्सा जाति कायमखानी निवासी रामगढ तहसील रामगढ जिला सीकर (राज.) इसरार पुत्र समसुदीन 39/1840 हिस्सा समसुदीन पुत्र हुसैन 39/1840 हिस्सा जाति तेली निवासी रामगढ तहसील रामगढ जिला सीकर (राज.), उर्मीला सेन पत्नी राजेन्द्र सेन 37/69 हिस्सा जाति नाई निवासी जयपुर (राज.), घनश्यामदास पुत्र सन्तराम 1/3680 हिस्सा, प्रेमकुमार पुत्र शिवचंद 1/7360 हिस्सा, मुनीदेवी पत्नी शिवचंद 1/7360 हिस्सा, लेखराम पुत्र सन्तराम 1/3680 हिस्सा, श्री राम पुत्र सन्तराम 1/3680 हिस्सा जाति सुनार निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.) खातेदार	1397/1274 मि.	0.0273	बारानी	

तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि अगर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो बाद जांच निर्णय व डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते व लगान पृथक्–पृथक् कायम करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 11 माह अक्टूबर सन् 2022 को खुले न्यायालय में जारी की गई।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू